

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/198

दिनांक - 20/01/23

प्रार्थी
1 मगाराम पुत्र धीराराम
जाति कुम्हार (प्रजापति)
निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 अलसाराम पुत्र टीकमाराम 2 दुर्गाराम 3 हेमाराम 4
फरसाराम पिसरान धीराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी
ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 313/2022

दिनांक- 12/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ईश्वरपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 357/1 रकबा 3.0918 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20/01/23

क्रमांक :- रीडर/2022/199-202

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मगाराम पुत्र धीराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अलसाराम पुत्र टीकमाराम वगैराह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश
तहसील बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर